



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937

No. 302]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015 /VAISAKHA 23, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2015

सा.का.नि. 379(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में, सहायक कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) के पद से संबंधित कम संख्या 6 के सामने, -

(i) स्तंभ (7) के अधीन, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(i) 20 से 25 वर्ष के बीच अभ्यर्था।”

(ii) स्तंभ (8) के अधीन, उप-मद (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(ख) शारीरिक और चिकित्सीय मानक :-

पुरुष

ऊँचाई-

165 से.मी.

छाती -

81 से.मी. (बिना फुलाये)

86 से.मी. (फुलाने पर)

वजन -

50 कि.ग्रा. (ऊँचाई के अनुपातिक के अधधीन रहते हुए)

महिला

157 से.मी.

लागू नहीं होता

ऊँचाई के अनुपातिक।”

[फा. सं. I-12013/05/2014-संग.]

हरीश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक-1)

टिप्पणः—मूल नियम सा.का.नि. सं. 811(अ), तारीख, 05 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 540(अ), तारीख, 9 जुलाई, 2012 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11 May, 2015

**G.S.R. 379(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indo-Tibetan Border Police Force, General Duty Cadre (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2010, against serial number 6, relating to the post of Assistant Commandant (General Duty),—

(i) under column (7), for item (i), the following item shall be substituted, namely:—

“(i) Candidates between 20 and 25 years”;

(ii) under column (8), for sub-item (b), the following sub-item shall be substituted, namely:—

“(b) Physical and medical standards:—

Male	Female
Height : 165 cm	157 cm
Chest : 81 cm (Unexpanded) 86 cm (Expanded)	Not applicable
Weight : 50 kgs (Subject to the proportionate of height)	Proportionate to height.”

[F. No. I. 12013/05/2014-Org.]

HARISH CHANDER, Director (Pers-I)

**Note.**—Principal rules were published *vide* number G.S.R. 811(E), dated the 5th October, 2010 and subsequently amendment *vide* number G.S.R. 540(E) dated the 9th July, 2012.